

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक 134 / टी.आई-3
दिनांक 28/5/10

विषय: बकाया पैसे देने की बजाय सवारियों को टोफियों देने बारे।

उपरोक्त विषय बारे प्रायः देखने में आया है कि परिचालक यात्रियों को बकाया पैसे देने की बजाय टोफियों दे देते हैं जिससे उनको अतिरिक्त आय हो जाती है। अतः सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीन कार्यरत परिचालकों को कड़े आदेश जारी करें कि कोई भी परिचालक सवारियों को टॉफी नहीं बेचेगा यदि टॉफी देता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त विभागीय कार्यवाही की जाये।

आदेशो की पालना दृढता से की जाये।

19/5
160

उप परिवहन नियन्त्रक (या0)
कृते : महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा
चण्डीगढ़। 27/5/10

क्रमांक नं० 176 - 58 / टी.आई03 दिनांक 28/5/10

इसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी मुख्यालय को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि सभी आंगारों में खुले पैसे की कोई कमी ना आने दे अर्थात् बैंकों से सम्पर्क करके प्रत्येक माह खुले पैसे उपलब्ध करवाये।

-- Ed --

उप परिवहन नियन्त्रक (या0)
कृते : महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा
चण्डीगढ़।
27/5/10

पृ० क्रमांक 846-86 / ASI ACE दिनांक, चण्डीगढ़ : 2-6-10

इसकी एक प्रति समस्त लेखा अधिकारी तथा आर0एस0ओ0 कार्यालय समस्त महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेशों की दृढता से पालना की जाये और खुले पैसे का प्रबन्ध करवाते हुए इनकी कोई कमी न आने दे।

मुख्य लेखा अधिकारी
कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा
चण्डीगढ़ 27/5/10